Peer Reviewed/ Refereed Journal

ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
CHETANA
Impact Factor SJIF=4.157

Received on 30thApril 2019, Revised on 12th May 2019, Accepted19th May 2019

शोध–आलेख

समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

*मोनूसिंह गुर्जर, *शोधार्थी*
डॉ. वी.पी. अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर
शिक्षा संकाय, आरआईई, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
Email-msgurjarriea@gmail.com, Mob.-9928197788

मुख्य शब्द - *संवेगात्मक बुद्धि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गआदि.*

1.0 प्रस्तावना

शिक्षा मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है, अतः शिक्षार्जन करने वाला बालक सामान्य हो या विकलांग, उसको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना न्याय संगत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 (नीति निर्देशक तत्व) में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये। स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात् से इस उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास चल रहे हैं, परन्तु आज प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति ही आंशिक रूप से हो पाई है। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जिनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, विकलांग बालकों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव है।

विश्व जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विकलांग व्यक्तियों का है। विश्व में कुल विकलांगों का लगभग आठवां हिस्सा भारत में है।

इस प्रकार विकलांग वर्ग का प्रभाव आर्थिक व सामाजिक रूप से समाज पर पड़ता है विकलांग वर्ग भी समाज का अभिन्न वर्ग है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विकलांग बच्चों को उन्नति के पर्याप्त अवसर दिये जायें ताकि समाज व राष्ट्र की उन्नति में उनका भी सहयोग प्राप्त हो सके।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार विकलांग बालक को दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य है – उसे उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सामंजस्य करने के लिए तैयार करना, जिसका निर्माण सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के पूरक कार्यक्रम के रूप में सन् 1975 में समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार ने समेकित शिक्षा योजना (आईईडी) प्रारम्भ की। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों का छात्रवृत्ति व अतिरिक्त सुविधा दी गई तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान किया गया।

यदि विकलांग बच्चे सामान्य समुदाय के साथ रहते हैं तो विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा के लिए उन्हें पृथक नहीं करना चाहिए, बल्कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में समानता के लिए शिक्षा नामक अध्याय में विकलांग बच्चों और सामान्य बच्चों की शिक्षा के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूति

विशिष्ट शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें मुख्यतः 18वीं सदी के पूर्व में दिखाई देती हैं। उस युग में समकालीन शैक्षिक प्रणाली विशिष्ट बच्चों के लिए भी प्रत्यक्षतः देखी जा सकती है। विशिष्ट शिक्षा में आज के कई मुद्दे उस समय भी उठे थे।

अपंग व्यक्तियों के साथ सामाजिक जुड़ाव का प्रारम्भिक इतिहास अंधविश्वास और गलत फहमियों पर केन्द्रित रहा है। प्रारम्भिक दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि अपंग बच्चों को ईश्वर के श्राप के रूप में देखा जाता था।

1800 से 1900 के बीच युरोप और अमेरिका में जो संस्थानिक आन्दोलन चला वह मात्र अपंग लोगों की जरूरत पर शिक्षाविद् और स्वास्थ्यकर्मी तथा जनता की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रतिबिम्ब था। अपंग बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के प्रयास 1900 के आस–पास किये गये परन्तु इसमें थोड़ी ही सफलता मिली। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मानसिक पिछड़े बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे इकट्ठे किये गये और एक स्कूल शुरू किया गया पर वे सामान्यतः असफल रहे। शताब्दी के बाद में बुद्धिलब्धि जांच, मानसिक पिछड़ों के स्तर की निश्चितता आदि के बाद वे सफल होने लगे।

भारत में विकलांगता के क्षेत्र में सर्वप्रथम दृष्टिबाधिता पर ध्यान दिया गया। ब्रिटिश शासन में 1942 में अंधत्व के कारण, निवारण व कल्याण हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने शिक्षा मंत्रालय में अंधत्व पर एक इकाई को स्थापित करने की सिफारिश की। यह इकाई 1947 में बनाई गई और कुछ समय बाद ही अन्य प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम को इसमें जोड़ा गया। उस समय शासन ने चार प्रकार की विकलांगता पर ही विचार किया–दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, मानसिक पिछड़ापन और गत्यात्मक असमर्थता। अधिगम विकलांगता को औपचारिक रूप से विकलांगता की मान्यता नहीं मिली। 20वीं सदी के अन्तिम 2–3 दशकों में विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम का विकास हुआ।

1.2 समावेश का अर्थ

समावेश का शाब्दिक अर्थ है – सम्मिलित करना (Yo take in), एक भाग मानना (To consider as a part), सदस्य (member of), या साथ लेना (To embrace) समावेश का अर्थ सदस्यता से है तथा जिसका संबंध समुदाय से है।

शिक्षा के संदर्भ में समावेश का अर्थ विद्यालय की ऐसी पुनसंरचना से है जिसमें विद्यालय सभी समुदायों का एक केन्द्र हो और जहां सभी प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण कर सके।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा का मूल स्रोत बालकों को शिक्षा के समान अवसर देना है। बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का अर्थ शिक्षा से संबंधित समान अवसर प्रदान करना नहीं है। अपितु इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आवश्यकतानुसार शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। शिक्षा व्यक्ति को उसी समाज के साथ रहने हेतु तैयार करती है। समावेशी शिक्षा उनकी पूरी शक्ति का विकास करती है। समावेशी शिक्षा में समुदाय के सभी बच्चों का समावेश है।

1.3 समावेशी शिक्षा एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005

समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किये जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा की कुछ मुख्य अवधारणाऐं निम्न प्रकार हैं –

- समावेशी शिक्षा का मतलब सबको रागाविष्ट करने से है।
- विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना है।
- सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए
- बच्चे फेल नहीं होते हैं, वे केवल स्कूल की असफलता दर्शाते हैं।
- अंतरों की स्वीकृति – विविधता का उत्सव।

- समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है।
- मानवीय अधिकार सीखे और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाऐं।
- विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है – इसे तोड़ें।
- प्रावधान करें बाधाऐं न गढ़ें, बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाऐं।
- भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाऐं दूर करें।
- सहभागिता हमारी शक्ति है – जैसे स्कूल, समुदाय की, स्कूल–शिक्षक की, शिक्षक–शिक्षिका की, बच्चों–बच्चों की, शिक्षक–अभिभावक की, स्कूली तंत्र एवं अन्य तंत्रों की सहभागिता।
- शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार हैं।
- साथ मिल कर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लाभदायक है।
- सहारा देने वाली सेवाऐं – आवश्यक सेवाऐं हैं।
- यदि पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें उनकी कमियों को नहीं बल्कि शक्तियों को पहचानें।
- आपस में आदर भाव, परस्पर निर्भरता बढ़ाऐं।

सालामान्का सम्मेलन 1994

सालामान्का स्पेन में 1994 में यूनेस्को द्वारा प्रायोजित सम्मेलन में सभी राष्ट्रों के केवल समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाने की जोरदार सिफारिश की गई।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995

इस अधिनियम को संसद द्वारा 12 दिसम्बर 1995 को पारित किया गया तथा फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को सुविधाऐं, सेवाऐं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना है।

निःशक्तजन अधिकार विधेयक (2016)

निःशक्तजन अधिकार विधेयक,2016, 27 दिसम्बर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अस्तित्व में आया। इसमें निःशक्तजनों की शिक्षा के सम्बन्ध मेंभाग 16 एवं 17 के अनुसार निम्नलिखित नियम निर्धारित किये गयेः–

16. समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारियों का प्रयास रहेगा कि सभी शैक्षिक वित्त पोषित या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगें।

I. उन्हें बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देंगे और अन्य विद्यार्थियों के साथ समान रूप से खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे ।
II. भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाएँ सुलभ बनाऐंगे ।
III. व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से उचित आवास प्रदान करेंगे ।
IV. व्यक्तिगत या वातावरण में शैक्षणिक और सामाजिक विकास करने एवं पूर्ण समावेश के लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिकतम आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।
V. सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को, जो अंधे या बहरे या दोनों हैं, की शिक्षाके लिए सबसे उपयुक्त भाषा और माध्यम और संचार के साधनों को प्रदान किया जाएगा।

VI. बच्चों में विशेष अधिगम अक्षमता पता लगाने और उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपायों द्वारा उन पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करेंगे।

VII. बच्चों की भागीदारी, प्राप्ति के स्तर और अक्षमता के साथ हर छात्र के संबंध में शिक्षा के पूरा होने के मामले में प्रगति की निगरानी रखना।

VIII. विकलांग बच्चों के परिचर के लिए परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने के साथ – साथ विकलांग बच्चों को और भी उच्च समर्थन की जरूरत होती है, का ध्यान रखना।

17. समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारी धारा 16, के प्रयोजन के लिए निम्न उपाय करेगें : –

a) विकलांग बच्चों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष जरूरतों और सीमा का पता लगाने के लिए हर पॉच साल में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करेंगे। बशर्ते कि पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा।

b) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त संख्या में स्थापित किया जाए।

c) प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को रोजगार दिया जाए, जिनके साथ विकलांग शिक्षक भी हों जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हता प्राप्त किये हों और शिक्षकों को बौद्धिक विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए।

d) स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए पेशेवरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

e) संसाधन केन्द्रों को स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्थापित किया जाए।

f) भाषण, संचार या भाषा विकलांग व्यक्तियों के दैनिक संचार की जरूरतों को पूरा करने के लिए और उन्हें सक्षम बनाने, उनकी सहभागिता बढ़ाने और अपने समुदाय और समाज के लिए योगदान करने के लिए, साधन और संचार, के ब्रेल और सांकेतिक भाषा के स्वरूपों सहित उचित आगम और वैकल्पिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

g) विकलांग छात्रों को अठारह साल की उम्र तक किताबें, अन्य शिक्षण सामग्री और सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाने चाहिए।

h) बेंचमार्क विकलांग छात्रों के लिए उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए।

i) विकलांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन किये जाए, जैसे परीक्षा में अतिरिक्त समय, परीक्षा पेपर में सहायक लेखक या टंकक, दूसरी और तीसरी भाषा पाठ्यक्रम से छूट की सुविधा आदि।

j) सीखने में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए।

k) कोई अन्य उपायों जो आवश्यक हो ।

18. विकलांग और समान रूप से अन्य लोगों को सतत शिक्षा कार्यक्रम और वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने, रक्षा करने और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारियों को कदम उठाने होंगे।

1.4 समस्या कथन

समावेशी शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के नियोग्य बालक भी एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। परन्तु समस्या यह है कि विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षाओं में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षकों और अभिभावकों के समावेशी शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण की कमी है। कहीं न कहीं समुदाय में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। जब तक समावेशी शिक्षा के मुख्य घटक विद्यालय, परिवार और समुदाय इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाते तब तक समावेशी शिक्षा का पूर्ण क्रियान्वयन संभव नहीं है। अतः अध्ययन के लिए चयनित की गई समस्या का कथन इस प्रकार है –

''समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन''

1.5 सम्प्रत्ययों की व्याख्या

अध्ययन से संबंधित मुख्य संप्रत्ययों की व्याख्या निम्न प्रकार है –

1.6.1 समावेशी शिक्षा

वह शिक्षा, जिसके अन्तर्गत सामान्य और विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है।

1.6.2 दृष्टिकोण/मनोवृत्ति का अर्थ

सेकर्ड तथा बेकमैन ने मनोवृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा है –''वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भावों, विचारों तथा अनुक्रिया करने की पूर्व प्रवृत्तियों को मनोवृत्ति कहा जाता है।''

1.7 अध्ययन के उद्देश्य

- समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निजी व सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पुरूष व महिला प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निजी व सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पुरूष व महिला अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमन

- इस शोध पत्र का चयन राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रमीण विद्यालयों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए किया गया है।
- विद्यालय में समावेशन के आधार पर ही प्रधानाध्यापकों का चुनाव प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।
- कक्षा में समावेशन के आधार पर ही अध्यापकों का चुनाव प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।

1.8 अध्ययन में प्रयुक्त विधि

अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया है।

1.9 प्रतिचयन

इस अध्ययन के लिए स्तरित यादृच्छिक विधि को ही चुना गया। 40प्रधानाध्यापक तथा 200 अध्यापकों को जिसमें से 20 महिला प्रधानाध्यापक तथा 20 पुरूष प्रधानाध्यापक, 100 महिला अध्यापक तथा 100 पुरूष अध्यापकों का चयन किया गया है।

1.10 उपकरण एवं तकनीक

अनुसंधानकर्ता ने समंक संकलन हेतु समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को मापने के लिए दो स्वनिर्मित मापनियों का निर्माण किया। पहली मापनी प्रधानाध्यापकों के लिए तथा दूसरी मापनी अध्यापकों के लिए बनायी गयी। मापनियों का निर्माण लिंकर्ट विधि द्वारा किया गया।

1.11 सांख्यिकीय तकनीकी

दत्तों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किया गया।

1. प्रतिशत मान

1.12 अध्ययन का परिसीमन

- इस शोध पत्र का चयन राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रमीण क्षेत्र के 40 माध्यमिकविद्यालयों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए किया गया है।
- विद्यालय में समावेशन के आधार पर ही प्रधानाध्यापकों का चुनाव प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।
- कक्षा में समावेशन के आधार पर ही अध्यापकों का चुनाव प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।

1.13 शोध निष्कर्ष

विश्लेषण से ज्ञात प्रतिशत मान से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए –

1. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के प्रधानाध्यापकों के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानाध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण, निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के बजाय सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के बजाय निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
4. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में निजी विद्यालयों में कार्यरत महिला प्रधानाध्यापकों के बजाय पुरूष प्रधानाध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
5. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला प्रधानाध्यापकों के बजाय पुरूष प्रधानाध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
6. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालयों में कार्यरत महिला प्रधानाध्यापकों के बजाय पुरूष प्रधानाध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला प्रधानाध्यापकों के बजाय पुरूष प्रधानाध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
8. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की बजाय ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
9. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के बजाय ग्रामीण निजी विद्यालयों के अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
10. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी निजी विद्यालयों के अध्यापकों के बजाय शहरी सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
11. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की बजाय पुरूष अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
12. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की बजाय पुरूष अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।
13. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की बजाय पुरूष अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।

14. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की बजाय पुरूष अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।

1.14 शैक्षिक निहितार्थ

इस अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार है –

- सभी के लिए शिक्षा नीति को सफल बनाना।
- समावेशन के माध्यम से सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ताकि प्रत्येक बालक अपनी गति व क्षमता के अनुसार बिना किसी बोझ के शिक्षा के मूल्यों का अर्जन कर सके।
- इसके माध्यम से समाज में निःशक्तों को उनका खोया हुआ स्थान प्रदान करा सके।
- शिक्षा के माध्यम से निःशक्तों को इस योग्य बनाता ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें।
- समाज में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के बहिराव (मगबसनेपवद) को रोक सकें।
- समावेशन केवल शिक्षा तक ही सीमित न रहे बल्कि प्रत्येक स्तर पर किया जा सके।
- विद्यालय परिवार और समुदाय समावेशी शिक्षा के प्रति अपनी सही जिम्मेदारी को समझ सके।
- नवीन शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग किया जा सके ताकि हाशिये पर स्थित अधिगमकर्ता भी लाभान्वित हो सके।
- प्रत्येक बालक को विशेष समझ कर सामान्य कक्षा में उसका समावेशन किया जा सके और उसे लाभान्वित किया जा सके।

1.15 समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुझाव

शोधकर्ता द्वारा समावेशी शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं –

- समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालयों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकाधिक जागरूकता अभियान चलाये जाने चाहिए।
- समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंध समिति व प्रधानाचार्य को विशेष प्रयास करने चाहिए।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- शिक्षा से जुड़े प्रत्येक घटक को समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणाओं की आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए।
- सभी विद्यालयों की बनावट इस आधार पर होनी चाहिए कि किसी को भी उसमें आवागमन की परेशानी न हो।
- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की जानकारी आम अभिभावकों को होनी चाहिए और उसे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- सामुदायिक स्तर पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त योजनाओं का निर्माझा कर उन्हें लागू किया जाना चाहिए।
- समावेशन का पालन करने वाले विद्यालयों की सूची बनाकर वरियता क्रम के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जानाचाहिए। यहां तक कि विद्यालय प्रबंधन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समावेशी शिक्षा की ओर रूझान बढाया जा सके।
- विद्यार्थियों को भी समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

1.16 भावी शोध हेतु सुझाव

शोध एक सतत् प्रक्रिया है। अतः किसी भी शोधकर्ता द्वारा अपने शोध निष्कर्षों को अन्तिम मान लेना शोधकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रस्तुत शोध के संबंध में शोधकर्ता ने इस बात का अनुभव किया है कि वर्तमान समय में इस समस्या के विभिन्न क्षेत्रों पर शोध करने की आवश्यकता है। उक्त बिन्दुओं को दृष्टि में रखते हुए शोधकर्ता ने शोध हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं –

- इस शोध को विस्तृत क्षेत्र एवं समूह पर किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों और अभिभावकों के भी समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को मापा जा सकता है।
- पूर्व सेवाकालिक शिक्षक और सेवारत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपिल, एच.के. (2009) अनुसंधान विधियां, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा
2. कोल, लोकेश (2008) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
3. गर्ग, सरिता (जनवरी 2005) भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
4. गुप्ता, एस.एवं अग्रवाल, जे.सी. (2009) शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले अधिगमकर्ता, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. झा, मदन मोहन (2003) समावेशी शिक्षा, दृष्टिकोण और प्रक्रियाऐं, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
6. ढोंढयाल, फाटक (1972) अनुसंधान की विधि शास्त्र, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
7. पांडेय, के.पी. (2008) शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
8. भटनागर, आर.पी. एवं भटनागर, मीनाक्षी (2010) शैक्षिक अनुसंधान, इंटरनेशनल पब्लिशिंक हाउस, मेरठ
9. शर्मा, आर.ए. (2009) विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ
10. सिंह, अरूण कुमार (2009) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
11. सिंह, रामपाल व शर्मा, ओ.पी. (2008) शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
12. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी, नई दिल्ली

*** Corresponding Author:**
मोनूसिंह गुर्जर, *शोधार्थी व* **डॉ. वी.पी. अग्रवाल**, *पूर्व प्रोफेसर*
शिक्षा संकाय, आरआईई, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
Email-msgurjarriea@gmail.com, Mob.-9928197788